कः एमः पी सीः 49.

ra Company



पंजी कृपांक एम.पी..--533

amila allana

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

कर्मांक 255] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 नवम्बर 1973--कार्तिक 24, शके 1895

विधि श्रीर विद्यायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक १४ नवम्बर १६७३.

कः एकः ३०२=१-१-(ती)-२३=-७३-इग्कोस-म (प्रा.) — मह्यप्रदेश विधान सना कः निम्नविस्तित मिलिन्सम्, जिस पर दिनांक ६ निमन्बर १६७३ को राष्ट्रपति की मनुमति प्राप्त हो नुभी है, एत्स्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के तिये प्रकाशित विधार जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यवाल के नाम से सवा आदेशानुसार, बा. पा युब, जनसम्बद

मध्यप्रदेश ऋधिनियम क्रमाण ४६ सन् १९७३.

मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, १६७२

विषय-सूची

धाराएं

पहला भाग-प्रारम्भिक

- 9. संदित्तं नाम तथा प्रारम्भ.
- २. परिभाषाएं.

3655

धाराए

दूसरा भाग--गध्यप्रदेश उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिषद्

- ३. जगवारिका रिकार्ट्रीकरण परिषद् का निगमम.
- ४. परिवद् का गठन.
- ५. परिषद् का ग्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष.
- ६. निर्वाचन ग्रोदि की रीति.
- ७. परिपद के उत्ताब्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि.
- . श्रामस्याम रिक्सियां,
- ६. सदस्यों को ग्रनुपहिश्वति की इजाजत.
- ् १० परिषद् के श्रविंबेशनः
- ११ दिन्ति से कार्गना दियों श्रादि का अविधियन न होना
- १२. परिषद् के अध्यक्ष, जााध्यक्ष तथा सदस्यों को भन्ने की देवगी.

तीसरा भाग--रजिस्ट्रीकरण

- १३. रजिस्ट्रार तथा अन्य पदाधिकारी.
- १४. राज्य रजिस्टर.
- १४. वे व्यक्ति जो रिनस्टीकृत किये जा सकेंगे स्रीर रिजस्ट्रीकरण फीत.
- १६. र/जस्ट्रीकरण के विशेषाधिकार.
- १०. पाण्य रिजस्टर में नाम की प्रविष्टि का प्रतिषेध करने या उसमें से नाम हटाने का निर्देश देने की परिषद् की शवित.
- १८. परिषद् द्वारा शाल्य रजिस्टर में परिवर्तन.
- १६. जांचा की प्रक्रिया.
- २०. परिषद् के विलिश्तय के विषद्ध स्रपीत.
- २१. फीस को व्यवन
- २२. रजिस्ट्रीकरण के लिये पाल मा राज्य रजिस्टर में नामांकित समझे गये व्यक्तियों को छोड़कर व्यवसाय करने वाले श्रम्य व्यक्तियों की सूची का रखा जाना.
- २३. इन श्रधिनियम में उनवंधित श्रवस्था को छोड़कर व्यवसाय करने का प्रतिनेध.

चीथा भाग--प्रशिक्षण संस्थाएं

- २४. प्रशिक्षण संस्थाएं.
- २५. संस्थाओं को मान्यता देने से इनकार करने के विरुद्ध श्रपील.

पांचवां भाग---प्रकीर्ण

- २६. मृत्यु की मूचना पर रजिस्टर से नाम का हुशाया जाना.
- २७. प्रमाणपत्र को बेईमानी से उपयोग में लाने के सिप्टेशास्ति.
- २८. रजिरद्रीकृत उपनारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका, स्वास्थ्य परिदर्क को विधि विषद अभिधारण करने के लिये वास्ति.
- २६. अपराधीं का प्रसंशान.
- ३०. रादभावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.
- ३१. राज्य शासन द्वारा नियंवण.
- ३२. परिलद् द्वारा दी जाने वाली जानकारी और उसका प्रकाशन.
- ३३. नियम बनाने की शक्ति.
- ३४. विनियम बनाने की शक्ति.
- ३५. धारा ३ के अधीन परिषद् की स्थापना पर होने वाले परिणाग.
- ३६. निरमन.

मध्यप्रदेश अधिनियग

क्यांक ४६ सन् १९७३

मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरणम् अधिनियम, १९७२

[दिनाक ६ नवम्बर १९७३ को राष्ट्रपति की श्रनुमित प्राप्त हुई; श्रनुगित ''मध्यप्रदेश राजपल'' (ग्रसाधारण) में दिनांक १५ नवम्बर १९७३ को प्रथमवार प्रकाशित की गई.]

मह्मप्रदेश में उपचारिकाओं (नर्सेज), प्रसाविकाओं (मिडवाइब्ज), सहायी उपचारिका-प्रसाविकाओं (भानजीलिगरी गर्स-मिडवाइब्ज) तथा स्वास्थ्य परित्यंकों (हेल्थ विजिटर्स) के रिजस्ट्रीकरण से संबंधित विधियों का संगेकन करने तथा राज्य के लिये उपचारिका रिजस्ट्रीकरण परिषद् के गठन तथा उससे संबंधित विषयों के लिये उपबन्ध करने के हेतु श्रधिनियग.

भारत गणराज्यं के चीबीएवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा इसे निम्न-लिखित रूप में धिधिनियमित विधा जाय :----

पहला भाग-प्रारंभिक

- (१) यह अधिनियम मन्यवरेश उपचित्रा, प्रसाविका, सहायी छप-संदिख्य नाम चारिका-प्रसाविका सथा स्वास्थ्य परिदर्शक रिक्स्ट्रीकरण अधिनियम, १६७३ कह-निस्तार सथा प्रारंभ, सामेगा.
 - (२) इसाम विस्तार-धेल संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा.
- (३) यह ऐसे दिनांक को प्रश्ति होगा जिसे राज्य शासन, अधिमूचना द्वारा र्ज नियत करे.
 - २. इस अधिनियम में , जब सक कि प्रसंत से अनावा अमेक्शित न हो,--

परिभागाएं.

- (क) "परिपद्" से तालाय धारा ३ के अधीन स्थापित प्रध्यप्रदेश उपचारिका रिजिट्टीकरण परिपद् से है;
- (ख) "उपनारिका" में उपनारक (मेलनसं) भी सम्मिलित है;
- (ग) "पात्यता प्राप्त प्रहेंगा" से तालार्य इंडियन सीर्य मार्थितन एक्ट. १६४७ (क्रमांक ४८ सन् १६४७) की अनुयूची में सिम्मलित जिन्ही भी अहंताओं से है ;
- (घ) "राज्य रजिस्टर" से तालयं धारा १४ के अधीत रखे भने रजिस्टर से है और अभिव्यक्ति "रजिस्ट्री इत" तथा "रजिस्ट्रीकरण" का सरनुसार अर्थ लगागा जायमा

दूसरा भाग--मध्यप्रदेश उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिपद

उपचारिका रिज-स्ट्रीकरण परिपन् का निगान

- (१) राज्य शासन, यथाशवय शीघ्र, अग्रिचना क्षारा, ऐसे दिनांक से,
 को कि उसमें उल्लिखित किया जाय, एक उपचारिका रजिस्दीकरण परिवद् की प्रस्थापना करेगा.
- (२) परिषद्, मध्यप्रदेश उपचारिका रिजस्ट्रीकरण परिषद् के गाम से एक निगम निकाय होगी और उसका शाण्यत उत्तराधिकारी होगा स्था उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अजित एवं धारण करने और इस अधिनियम के अधीन बनाये गये उपयक्षों के अधीन रहते हुए, अपने द्वारा धारण की गई किसी भी संपत्ति को अन्तरित करने सथा संविद्य करने और उसके गठन के प्रयोजनों के लिये आवश्यक अन्य समस्त वाते करने की शिवत होगी तथा वह अपने निगमित नाम से बाद चला सकेगी या उसी नाग से उसके विरुद्ध वाद चलाया अर सकेगा.

परिषद् का गठन.

- ४. (१) परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे, भ्रथीत् :---
 - (क) स्वास्थ्य सेवा संचालक, मध्यप्रदेश-पदेन;
 - (ख) परिषद् द्वारा धारा २४ के स्रधीन स्रगुगीदिस तथा गान्यता प्राप्त चिकित्सालयों के दो स्रधीक्षक जो राज्य शासन द्वारा बारी-बारी नाम निर्देशित किये गये हों;
 - (ग) सहायक संचालक, स्वार श्र सेवा (उपचर्या) तथा ज्यत पद के रिवत होने की दशा में अधीक्षक, उपचर्या सेवाएं-पदेन;
 - (ध) उपचर्या विद्यालय, इन्दीर का प्राचार्ग (प्रिमीपल)-पदेन;
 - (ङ्) चिकित्सा महाविद्यालयों के निकित्सालयों से राज्य कासन आरा बारी-बारी से नाम निर्देशित की गई दो प्रधान परिचारिकाण् (मेद्रन्स);
 - (च) मध्यप्रदेश के उपचर्या विद्यालयों की दो शिक्षण-महोपचारिकाएं (सिस्टर ट्यूटर्स) जो राज्य शासन द्वारा बारी-वारी से गाम निर्देशित की गई हों;
 - (छ) मध्यप्रदेश में नियास करने वस्ती रिकारद्रीकृत उपाधारिकाओं में से प्रशिक्षित उपचारिका संव की मध्यप्रदेश शाखा हारा निर्वाचित एक उपचारिका;
 - (ज) उन रजिरट्रीकृत उनचारिकामों को, जोकि मध्यप्रदेश थोर्ड आक्ष ट्रेंण्ड नर्सेज एसोसियेशन की सदस्या हों, छोड़कर अन्य रजिस्ट्री कृत उपचारिकामों द्वारा-अन्तने में से निर्वाचित कीन उपचारिका -जिनमें से एक उपचारक (मेल नर्स) होगा ;
 - (इ) रिजरीकृत प्रसाविकाक्षीं द्वारा अपने में से निर्वाचित एक प्रसाविका;
 - (ञा) रिजस्ट्रीकृत सहायी उपचारिका-प्रसाविकाओं द्वारा प्रभूने में से निवाचित एक सहायों उपचारिका-प्रसाविका;

- (ट) रजिस्ट्रीकृत' स्वास्थ्य परिवर्शकों द्वारा भपने में से निवर्शनित एक स्वास्थ्य परिवर्शना ;
- (ठ) रेड-कारा संरथा की मध्यप्रदेश शाखा द्वारा मध्यप्रदेश में निवास करने वाल अपने सदस् ों में से निर्वाचित एक सदस्य;
- (ड) गिड-इंडिया बोर्ड माफ एनजामिनर्स द्वारा श्रपने सदस्यों में से निर्वा-चित एक सदस्य :

परन्तु कोई भी व्यक्ति, एक ही समय में सदस्य के रूप में एक से प्रधिक हैसियत में सेवा नहीं करेगा.

- (२) उपधारा (१) के अधीन निर्वाचित या नागनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यवित का नाग राजपद्र में प्रधिमूचित किया जायगाः
 - प्. (१) स्वारक्षा सेवा संचालक, मध्यप्रदेश, परिषद् या पदेन ग्रध्यक्ष होगा.

परिपद् का अध्यक्ष संभा उपाध्यक्षाः

- (२) परिषद् का उपाध्यक्ष परिषद् के सदस्यों द्वारा उनमें से ही निर्वाणित निया जामगा
- ६. (१) धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (ज), (झ), (ङा) तथा (ट) के श्रधीन निर्वाचन परिपद्दारा संगालित किया जायगा तथा धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (छ), (४) तथा (ड) के श्रधीन निर्वाचन उनमें निर्दिष्ट निकामी हारा, विहित रीति में, संचालित किया जायगा.

निर्वाचन अगदि की रीति.

- (२) यदि घारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (छ), (ठ) तथा (ड) में निदिंड्ट निकायों में से कोई भी निकाय ऐसे दिनांक तक, जो कि विहित किया जाय, किसी व्यक्ति को परिपद् के सदस्य के का में निर्वाचित न करे, तो राज्य शासन, लिखित आदेण सारा, रिक्त स्थान पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेमा जो कि उस पर नियचित के लिये ग्रहें हो; जीर इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति परिपद् का सदस्य समझा जायमा मानो कि वह उक्त निकाय द्वारा सम्यक् क्षेण निर्वाचित किया गया हो.
- (३) जहां परिषय् के किसी निर्वाचन के संबंध में कोई वियाद उप्ताहित वहां वह ऐसी कालावधि के भीतर, जो कि विहित की जाय, राज्य शासन को निद्धिक किया जायमा ग्रीर उस पर राज्य शासन का विनिष्चय ग्रीसिम होगा.
 - ७. (१) उपाध्यक्ष एक कलेण्डर वर्ष के लिये पद धारण करेगा.

परिपद् के उपाध्यक्ष तथा ्यदरयों की पदावधिः

(२) पदेन सदस्य के मतिरियत परिषद् का प्रत्येक सदस्य उस दिनांक से, जिसको कि उसका निर्धाचन या नामिवर्षेशन धारा ४ की जगधारा (२) के अधीन राजपन में सिधस्थित किया गया हो, तीन वर्ष की भवधि तक पद धारण करेगा:

परुतु ऐसा सबस्य अपनी पदाविध समाप्त होने पर भी उस समय तक पद धारणे किमें रहेगा जब तक कि उसमें उचकाधिकारी का निर्याचन या बरण, जैसी भी की दशा हो, राजपत्न में सम्यक्षरीय श्रीधमूचित न कर दिया जाय.

(१) कोई भी सर्वावित या नामिनिदिष्ट सदस्य फिसी भी समय अभने बाकिस्मिक विविद्यातं.
हस्ताक्षरभुवत लिखित त्यामणय अध्यक्ष को देकर अपनी सतस्यक्षा त्याम सकेमा, और
तहुमिर उसका स्थान रिवत हो जायमा.

3660

- (२) किसी भी निर्वाचित या नामिनिदिष्ट सदस्य के संबंध में यह उत्तक्षा जायगा कि उसने श्रपना म्यान रिक्त कर दिया है, यदि—
 - (एक) वह परिषद् के तीन जगातार साधारण ग्रधिवेशनों से ऐसे प्रतिहेतु के बिना श्रनुपस्थित रहे जो कि परिषद् की राय में पर्याप्त हो; या
 - (वो) वह लगातार छ: मास से अधिक कालाविध के लिये भारत से बाहर रहे; या
 - (तीन) उसका नाम धारा १७ के ग्रधीन राज्य रिजस्टर से हटा दिया जाय.
- (३) यदि कोई ऐसा प्रश्न, विवाद या शंका उत्पन्न हो जाय कि नया उपधारा (२) में ग्रधीन कोई रिवित हुई है, तो राज्य शासन द्वारा उसका विनिश्चय किया जायगा और उसका विविध्वय अंतिम होगा.
- (४) परिषद् में होने वाली कोई आकिस्मक रिवित यथ।स्थिति निर्याचन या नामनिर्देशन द्वारा भरी जायगी और रिवित भरने के लिये निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट निया गया व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती की अव्यतीत अविध के लिये पद धारण करेगा.

सदस्यों की ग्रनु-पस्थिति की इजाजत. ह. परिषद् किसी भी सदस्य की परिषद् के ब्रिधिवेशनों से छः मास से ध्राप्तिक किसी कालाविध तक अनुपस्थित रहने की अनुका दे सकेगी.

परिगद् के स्रधि-वेशन.

- १०. (१) परिसद् प्रत्येक वप में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर, जो कि परिषद द्वारा नियत किया जाय, अधियेशन करेगी.
- (२) परिषद् के पांच सदस्यों से मणपूर्ति होगी और परिषद् के सगस्त कार्य उपस्थित तथा गत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिधिचत किये जायेंगे. गतों के वरावर-वरावर होने की दशा में ब्रध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को गिर्णायक मत प्राप्त होगा.

रिनित से कार्य-वाहियों ऋादि का श्रविधिवत् न होना

- ११. ्परिपद् का कोई भी कार्य केवल इस कारण अविधियत् नहीं होगा कि--
 - (क) परिषद् में कोई रिनित है या उसके गठन में कोई बुटि है; या
 - (ल) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के निर्वाचन या नामनिर्देशन में कोई सूटि है; या
 - (ग) उत्तकी प्रक्रिया में मामले के मुणामुण पर प्रभाग ग डालने वाली कोई अनियमितता है.

परिषद् के मध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को अधिवेशनों में हाजिर होने परिषद् के मध्यक्ष के लियें ऐसे भत्तों की देनगी की जासगी जिन्हें कि परिषद् पिनियमों द्वारा प्रविधारित करे.

उपाध्यश सदस्यों को भत्ते की बेगगी.

तीसरा भाग--रिजस्द्रीकरण

परिषद् एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगी जो परिषद् के सचिव के (१) रूप में भी कार्य करेगा.

रजिस्ट्रार तथा ग्रन्थ पदाधिकारी.

(२) परिषद् एक कोपाध्यक्ष की नियुक्ति करेंगी जो परिषद् की निधियों पर व्यापक नियंत्रण रखेगा:

परन्तु कोषाध्यक्ष की नियुनित होने तक, रजिस्ट्रार एक वर्ष से अनिधक काला-वींध तक कोपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकेगा, यदि परिषद् द्वारा ऐसा अपेक्षित किया जाय.

- परिपद् ऐते ग्रन्थ व्यक्तियों को नियोजित कर सकेंगी जिन्हें कि वह इस सर्धिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे.
- (४) रजिस्ट्रार तथा कोषाध्यक्ष के संबंध में प्रहुंताएं, निवृक्ति तथा सेवा की मार्ते तथा वेतनमान ऐसे होंगे जो कि विहित किये जाय और अन्य कर्मनारियों के संबंध में ऐसे होंगे जिन्हें कि परिषद् राज्य भारत की पूर्व मंजूरी से अवधारित करें.
- (५) परिषद् रजिस्ट्रार, कोषारुक्षा या किसी ग्रन्य कर्मनारी से उसके कर्तव्यों के सम्य ह् पालन के लिये ऐसी प्रतिभूति की, जैसी कि परिषद् ग्रावश्यक सराझे, ग्रपेक्षा करेगी तथा उसे लेगी.
- (६) इस धारा के ग्रधीन परिषद् के द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार, कोषाध्यक्ष तथा अन्य कर्गचारी भारतीय दंड संहिता, १८६० (कर्माक ४५ सन् १८६०) की धारा २१ के तात्पर्य के अन्तर्गत लोक सेकित समझे जायेंगे.
 - १४. (१) परिषद् पछ्तप्रदेश में निवास करने वाली-

राज्य रजिस्टर.

- (एक) उपचारिकाओं,
- (दो) प्रसाविकामीं,
- (तीन) सतायी उपनारिका-प्रसाविकाओं, भौर
- · (नार) स्वास्थ्य परिवर्शकों

का, जो धारा १५ के प्रधीन गामांकन के लिये पान हों, विद्वित रीति में एक रजिस्टर एखवायेंगी, जो "राज्य रजिस्टर" के नाग से जाना जायगा.

(२) परिषद् के रजिस्ट्रार का कर्तांच्य होगा कि वह राज्य रजिस्टर को इस श्रधिनियम के तथा परिषद् द्वारा दिये गये किन्हीं भी आदेशों के उपबन्ध के अनुसार रखे, और सगय-रागय पर रजिस्टर को विद्वित रीति में पुनरीक्षित करे तथा उसे राजपत में प्रकाशित करे.

(३) ऐसा रजिस्टर भारतीय साक्ष्य भिधिनियम, १८७२ (क्रमांक १ सून् १८७२) के तालाय क श्रन्तमंत लोगां दस्तायेज समझा जायमा श्रीर राजमत में प्रकाशित की गई प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध किया जा सकेगा.

वे व्यवित जो रिज- १४. मान्यता-प्राप्त महैंता रुपने वाला प्रत्येक व्यवित, ऐसी झहंता का प्रमाण स्ट्रीकृत किये जा रिजस्ट्रार को देने पर तथा ऐसी फीस की, जो कि विहित की जाय, देनभी पर राज्य-सकेंगे और रिज-रिजस्टर में नामांकन के लिए पान होगा, और धारा १४ में विणत भिन्न-भिन्न व्यवित यी स्ट्रीकरण फीस. के लिये भिन्न-भिन्न फीस विहित की जा सकेंगी.

रजिस्ट्रीकरण के विशेषाधिकार.

- १६. (१) कितपम मान्यता प्राप्त प्रहेताएं रखने वाले व्यक्ति द्वारा उपनारिका प्रशाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका या स्वास्थ्य परिदर्शक के इत्य में व्यवसाय किये जाने के विषय में इस प्रधिनियम में दी गई गर्ती तथा निवन्सनों के प्रधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम राज्य-रजिस्टर में तत्समय दर्ज हो, प्रवती प्रहेताओं के प्रवृत्तार राज्य में यथास्थिति उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका या स्वास्थ्य परिदर्शक क इप में व्यवसाय करने तथा ऐसा व्यवसाय करने के संबंध में ऐसी कोई कीस, जिसे पाने का वह हकदार हो, विधि के सम्यक अनुक्षम में वसूल करने का हकदार होगा.
 - (२) रजिस्ट्रीकृत अपनारिका, प्रसाविका, सहायी उपनारिका-प्रसाविका या स्वास्थ्य परिवर्शक को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति किसी भी चिकित्सालय, उन्मत्तालय, स्मणावास, औषधालय, प्रसूतिगृह या शिशु-कल्याण-केन्द्र या किसी अन्य चिकित्सा या लोक स्वास्थ्य संस्था में उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका या स्वास्थ्य परिवर्शक के रूप में किसी भी नियुक्ति को धारण करने के लिये पाव महीं होगा.

राज्य रिजस्टर में १७. परिषद् रिजस्ट्रार द्वारा निर्देश किये जाने पर या अस्पथा राज्य-रिजस्टर नाम की प्रविष्टि का में ऐसे किसी भी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि का प्रतिषेध कर सकेगी या उसमें से उसका प्रतिषेध करने या नाम हटाये जाने का आदेश दे सकेगी---

उसमें से नाम हटाने का निदेश देने की परिषद की, शक्ति.

- (क) जो किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे ध्रपराध के लिये कारावाय से दण्डित किया गया हो, जो परिषद् की राय में नरिंद्र संबंधी ऐसी जूटि को उपदीमत करता हो जिससे कि रजिस्टर में उसका नामांकन या उसक नाम का बना रहना अवांछनीय हो जाय; या
- (ख) जिसे परिषद् ने ऐसी जांच के परचात्, जिसमें उसे स्वयं या समुपंदेशी (कोंसल) द्वारा सुनें जाने का स्रवसर दिया गया हो का अजि परिषद् के विवेक से बन्द कम में में की जा सकेगी, स्रिधियेशन में अपिक्स तथा मत देने वाले सदस्यों के बो—तिहाई बहमत से किसी क्यावसायिक मामने में गईहत श्राचरण का दोषी पाया हो.

परिषद हारा १६. (१) परिषद्, यदि वह ऐसा करने का विचार करे, तथा संबंधित राज्य-रजिस्टर में अवित को सम्यक्, सूचना देने तथा उसकी प्रापत्तिमों की, यदि कोई हों, जांच कर के परिवर्तन. पर्यनात यह प्रादेश दे सकेगी कि राज्य-रजिस्टर में कोई भी प्रविष्टि, जिसके संबंध में परिषद् के सामधान योग्य यह सिद्ध कर दिया जाय कि वह कपटपूर्वक या अणुद्ध हम से की गई या बनाई गई है, रह मा संशोधित कर दी जाय.

- परिषद् उन्हीं कारणों से, जिनसे कि धारा १७ के श्रधीन परिणद् होरा रजिस्ट्रीकरण का प्रतिवेध किया जा सकेगा, यह निदेश दे सकेगी कि किसी भी रजिरदीकृत उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका या परिदर्शन का नाम राज्य-रिजरटर से सर्वथा या किसी उल्लिखित कालाविव के जिये हटा दिया जाय.
- ्परिगद् यह निदेश दे सकेंगी कि उपधारा (२) के ग्रधीन हटाया गया कोई भी नाम, ऐसी भर्तों के, यदि कोई हों और जिन्हें परिषद् ग्रधिरीपित करना उचित समझे, श्रधीन रहते हुए पून:स्थापित किया जाय.
- १६. धारा १५ या धारा १७ के श्रधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिये, जांचों की प्रक्रिया. परिपद् मा धारा ३३ के ग्राधीन बनाये गये नियमीं द्वारा प्राधिकृत कोई समिति भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (कमांक १ सन् १८७२) के तात्पर्य के अन्तर्गत न्यायालय समझी जायभी तथा पब्लिक सर्वेन्टस् (इन्तवायरीज) एनट, १६५० (क्रमांक ३७ सन् १८५०) के अधीन निभुवत किये गये आयुनत की समस्त - शनितयों - वर प्रयोग करेगी; अर ऐसी जांनें, यानंत्-याया, उत्तत पब्लिक सर्वेष्ट्स (इन्तवासरीज) एवट, १८५० (क्रमांक ३७ सन् १८५०) की धारा ५ तथा धारा ७ से २० तक के जपवन्धों के अनुसार संचालित की जायेंगी.
- २०. (१) धारा १७ या १८ के अधीन परिषद् के प्रत्येक विनिश्चगं के परिषद् के निनिश्चय विरुद्ध अभील राज्य भारान को अरधुत होगी और उस पर - राज्य भारान का विनिधन्तय के विषद्ध अभीत. श्रंतिम होगा.
- (२) उपधारा (१) के मधीन प्रत्येक अपील संबंधित पक्षकार की ऐसे वि। गेशचय की प्रतिलिपि प्राप्त होने के दिनांक से तीन गास के भीतर की जायगी.
- २१. इस श्रधितिगम के श्रधीन प्राप्त समस्त जुमिन तथा इस श्रधिनियम के जुमिने का स्ययन. ग्रधीन परिषद् द्वारा प्राप्त समन्त्र धन इस ग्रधिनियम के या उसके श्रधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होंने.
- २२. परिपद् धारा ३ की उपधारा (१) के श्रधीन चल्लिखित किये गये रजिस्ट्रीकरण दिनांग (जो इस घारा में इसके पश्चात् "उल्लिखित दिनांक" के नाम से निदिब्द है) विधे पान भा राज्य के ठीक पूर्व राज्य में उपवारिका, प्रसानिका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका, स्वारध्य रिजस्टर में नामां-परिदर्शक या दाई के रूप में अवसाय करने वाले व्यक्तियों की, जो इस अधिनियम के कित समझे श्रामि रिमस्ट्रीकरण के लिए पात्र नहीं है या जो धारा ३५ के खण्ड (ग) के ग्रामित व्यक्तियों को छोड़ राज्य रजिस्टर में नामांकित किये गये नहीं सगझे जाते हों, एक सूची बनवायेगी. करने वाले
- अपधारा (१) के भ्रधीन भ्राने वाला तथा उसमें निदिष्ट की गई मुची व्यक्तियों की सूची में अपना नाम सम्मिलित कराने का इच्छुक कोई भी व्यवसायी उल्लिखित दिनांक से का रखा छः गास के भीतर रजिस्ट्रार को विहित प्ररूप में, विहित कीस के साथ, एक आवेदन-पत्र. प्रस्तुत करेगा.
- परन्तु राज्य शासन अधिभूचना क्षारा, उसमें उल्लिखित किये जाने वाले कारणों से, प्रवीयत कालावधि में ऐसी श्रीर कालावधि तक की, जो तीन मास से श्रधिक न होगी, द्धि कर सकेगा.

- (३) परिपद्, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह करता उचित क्याने श्रीर इस बात का समाधान कर लेने के पश्चात् कि आवेदक, उल्लिखित फिला के ठीक पूर्व उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रयाधिका, स्वास्थ्य परिदर्शक सा दाई के रूप में व्यवसाय कर रहा था, आवेदक का नाम उस सूची में समिमलिस कर लेगी.
- (४) धारा २० के उपवन्ध, उपधारा (३) के अधीन परिषद् द्वारा गारित किये गये किसी भी आदेश को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे धारा १५ सा धारा १७ के अधीन पारित श्रादेश की लाग होते हैं.
- (५) वह व्यक्ति, जिसका नाम इस धारा के श्रधीन तैयार की गई सची में सिमालित है, धारा १६ में इल्लिखित किये गये रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के समस्त विशेषा-धिकारों का हकदार होगा.
- (६) रजिस्ट्रार उपधारा (२) में उल्लिखित कालाविध या ऐसी श्रीर बालावधि को, को उसके अधीन बढ़ाई जाय, समाप्ति के पश्चात् गयामनय शीघ व्यक्तियों की उस सूची को, जो कि उपधारा (१) के अधीन तैयार की गई हो, राजपत्न में शकाशित करेंगा श्रीर ऐसी सचना का प्रकाशन, इस धारा में उपयन्तें के श्रम्सार, इस बात का निश्चायंक साक्ष्य होगा कि उसमें सम्मिलित व्यक्ति यथास्थित जानारिका, प्रसाविका, सहायी जपचारिका- प्रसाविका, स्वास्थ्य परिदर्शक या धाई वो रूप में व्यवसाय करने का पादा है।

इस अधिनियम गें को छोड़कर व्यवसाय करने का प्रतिपेध.

- २३. (१) इस अधिनियम में जायनियत के अतिरिमत , कोई भी व्यक्ति जगविधत श्रवस्था राज्य में उपचारिका, प्रसाविका, सहाथी उपचारिका-प्रसाविका, स्वारूथ परिवर्णक मा दाई के रूप में व्यवसाय नहीं बरेगा भीर न स्वयं की, चाहे प्रत्यक्षतः या श्रप्रत्यक्षतः चरा रूप में अभ्यासताः या वैयक्तिक अभिलाभ के लिये व्यवसाय करने वाले के रूप बतलायेगाः
 - (२) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (१) के उपबन्ध का उल्लंधन करता है, जुर्माने हैं, जो पांच सी रूपये तक हो सकता है, दिख्डत किया जासेगा.

चीया गाग-प्रशिक्षण संस्थाएं

प्रशिक्षण संस्थाएं.

- २४. (१) ऐसी संस्थाएं, जो परिणय् द्वारा, उसके प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण किमें जाने के पण्यात, अनुमोदित तथा मान्य करवी गई हों, उप चारिकाओं, प्रशांधिकाओं सहायी उपचारिका-प्रसाविकाश्रों या स्वास्थ्य परिवर्शनमें को प्रशिक्षित करने सक्ते उन्हें परिवाद को अर्हतादायक प्रमाण-पत्न परीक्षा के लिए भेअने के लिए सक्षाम होंगे.
- (२) परिपद् किसी भी ऐसी संस्था की मान्यता का, अपने प्रतिनिधि द्वारा उराहा निरीक्षण किये जाने के पश्चात्, प्रत्याहरण कर सनेभी. ऐसे प्रत्याहरण का श्रादेश विधित में होगा श्रीर विहित रीति में उसकी तामील की जायगी:

परन्तु संस्था के भारसाधक प्राधिकारियों की सुनवाई का अवसर दिये किया किसी भी मान्यता का प्रत्याहरण नहीं किया जायगा.

- . . (३) कोई भी विद्यालय, चिकित्सालय या अना संस्था, जो इस घारा के ग्रधीन भनुमोपित सथा गान्यता प्राप्त न हो, किसी भी व्यक्ति को, जब तक कि उसका नाम इस ग्रंधिनियम के अधीन सूची में रिजिस्ट्रीफ़्त या प्रविष्ट न किया गया हो, प्रभाषपद जारी नहीं करेगी भा विसी भी व्यक्ति का नाम किसी भी ऐसे दस्तावेज में प्रविष्ट नहीं करेगी जो यह प्रकट करने के लिए अभिष्रेत हो कि ऐसा व्यक्ति उसके किसी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के कारण या प्रशिक्षण के किसी पाठयकम को परा कर लेने के कारण जपनारिता, प्रसाविका, सहायी जपनारिका-प्रसाविका या स्यास्थ्यः परिएशंक के रूप में व्यवसाय करने के लिये अही है.
- (४) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (३) के जायन्थों का उल्लंधन करता है, दोष सिद्धि पर, जुर्माने से, जो ५०० रुपये तक हो सकता है, दिख्त िया जायगा.
- (५) जब इस धारा के ब्रधीन अंतराध करने वाला व्यक्ति कणनी या प्रत्य विगम-निकास या व्यक्ति सों की संस्था (बाहें नियमित हो या न हो) हो, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के किये जाने के रामय संचालक, प्रबंधक, सचिद्र, अभिकर्ता मा श्रम पदा-धिकारी था उसके प्रवन्ध से अवधित व्यक्ति हो, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि वह अपराध उसकी जानकारी या सम्मति के बिना किया गया था, ऐसे अपराध का दोवी रामझा जायगा.
- २५. यह अनुमोधित करने तथा मान्य करने से कि कोई संस्था उत्तराधिकाओं, संस्थाओं को वा सहस्यी चनचारिका-प्रशासिकाओं यास्वास्थ्य परिदर्शकों को प्रशिक्षित करने के मान्यता देने से लिये सक्षम है, परिषद् अस इन्हार कर दिये जाने से व्यक्ति हुआ कोई भी व्यक्ति इंकार करते के ऐसे इन्हार के दिनांक से तीन गास के भीतर ऐसे इन्हार के श्रादेश के विरुद्ध राज्य गासव । विरुद्ध को अभील कर सकेगा. ितारी भी ऐसी अपील पर राज्य शासन का विनिश्चय अन्तिम होगा.

पांचवां भाग---प्रकीर्ण

२६. जन्म तथा मृत्यु का, प्रत्येक रजिस्ट्रार, जिसे किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की सूचना पर भत्य की समना आपत हों जिसके साम के संबंध में वह जानता है कि वह किसी रोजिस्टर में प्रविष्ट है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि वह किसी - रिजस्टर में प्रविष्ट किया गया है तो यह ऐसी मृत्यु रिजस्ट्रीकरण का प्रमाणवेह, जो कि उसके द्वारा हत्तावारित होता भीर भिन्नों पृत्युं के समय तथा स्थान को विवरण-होगा, परिएक् की डाक द्वारा वतमान प्रेपित करेगा; श्रीर तदपति ऐसे व्यपित का नाम रजिस्टर से हटा दिवा जागमा.

रजिस्टर से नाम था हटायर जानाः

कोई भी व्यक्ति जो ---२७.

प्रमाणपदा गरी वेई-भावी से उपभीय में लान न्हे

- (क) इस श्रवितियम के उपबन्धों के ग्रंधीन उसकी या किसी भ्रन्य व्यक्ति को जारी किये गये किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत को बेईगानी असित. से उपयोग बन्दता है:
- (ख) किशी गिथ्मा या क्षपटपूर्ण घोवणा, प्रमाणपद्म या व्यपदेशन को,चाहे. वर् लिखिस हो या अन्यथा, करके या पेश करके अयवा कराकर मा पेश कराकर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रिकस्ट्रीकरण भाषा गरता है या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है; मा

(ग) इस प्रधिनियम के उपकन्धों के प्रधीन रखे गये रजिस्टर या जा ? किये गये प्रमाणपन से संबंधित किसी निष्य में कोई भी मिथ्या

दोपसिद्धि पर, प्रथम बार के सपराध के लिये ऐसे जगमि से जो हो गी पचारा रुपये तक हो सकता है और किसी परचात्वती श्रपराध के लिये ऐसे जुगति से, जो गांच सी रुपये तक हो सकता है, या साधारण कारावास से, जिसकी श्रवधि छ: गास तक हो व्यपदेशन मनःपूर्वम करता है या करवाता है, सक्ती है, या दोनों से, दिण्डित किया जायेगा.

वस्तु या साईनवोड का इस श्राशय से खन्योग करता है जिससे यह विश्वारा किया जा राक थे, जो एक सी रूपों तक हो सकता है और किसी परचातवर्ती श्रगराध के जियूँ ऐस जुपनि से, जो दो सो रुपये तक हो सकता है, या सापारण कारावास से, जिसकी श्रयक्षि गा स्वास्थ्य परिदर्शन है, दोविसिद्धि पर, प्रयमयार के प्रगराध के लिगे ऐरो जुगति प्रहण करता है या उपयोग में लाता है, या जिसी नाग, उपाधि, वर्णन, विहित वर्धी, है कि ऐसा व्यक्ति रिषस्टीकुत उपचारिका, प्रसाविका, सहागी अपभारिका-असाविका २८. कोई भी व्यक्ति जो रजिस्मुग्रित उपचारिता, प्रसाविना, सहायी प्रसाविका, सहायो उपचारिका-प्रसाविका था स्वास्थ्य परिदर्शक का नाम या उपाधि, या यह जागते हुए उपयोग करता है कि यह विश्वास निये जाने की संभायना उमचारिका-प्रसातिका, स्वास्थ्य-परिदर्शक म होते हुए भी रजिस्ट्रीकृत अपचारिका, तीन गास तक हो एकती है, या दोनों ते देडित किया जायगा. प्रसाविता, स्वास्थ्य

उपाधि को विधि विरुद्ध झभिधारण

परिदर्शक

प्रसाविका, सहायो

अपनातिरक्ता-

उपचारिका,

रजिस्ट्रीकृत

प्रसंशान.

प्रपराद्यों का

झपराध का रिकंट्रार द्वारा या किसी भन्य प्राधिकारी द्वारा, जो कि इस संबंध में परिषद् द्वारा साधारण या विशेष श्वादेश द्वारा प्राधिवृत किया यथा हो, जिखित में किये अये

के प्रधीन इंडनीय किसी

(१) कोई भी न्यायालय इस श्राशिनयम

परिवाद पर ही प्रसंग्रान करेगा मन्यषा नहीं.

प्रयम अमि के मिलिट्ट के ग्रायास से निम्न थेणी का कोई भी त्यापानय इस श्रधिनियम के ग्रधीन दण्डनीय किसी भी प्रपराध का परीधाण नहीं करेगा 3

राज्य भारान द्वारा की गई कार्यवाही सर्भावनापूर्वेग का संरक्षण. नियंत्रण.

राज्य गासन द्वारा इस सेवंध में नियत विया जाय प्रसिकार न करे तो राज्य आभन राज्य शासन, यदि वह ऐसी नूच, अतिरेक या दुष्तयोग को गंभीर अकार का संगते, उस नूक, अतिरेक या दुष्पयोग की विशिष्टियां परिषद्ध को अधिश्वतिता कर सहिता श्रीर गींद परिषद् ऐसी चून, अतिरेक या दुष्पगोग का ऐसे समय के पीडार, जैसा कि राज्य शासन, परिषद् या उसकी फिसी स्मिति के जियद्य या शासन यदि किसी भी समय राज्य गारान को यह प्रदीत हो कि परिपर मे इस अधिनिसम के द्वारा या उसके प्रधीन उसे प्रदत्त किन्हीं भी शितिशों ना प्रधीम भुने निया है या उनका अतिरेन था दुष्णयोग विया है यो इस अधिनियार द्वारा या उसके शारीन उस पर अधिरोसित किन्हीं भी कर्ववों का पावन गत्ने विया है, हो परिएद का विघटन बर सबना भीर परिएट् की समस्त का निन्हों भी शनित्यों तथा जो इस ग्रशिसियम के मधीन सद्भावनतापूर्वेक की गई हो, या जिसका सद्भावनापूर्वक करोंच्यों का प्रयोग एवं पालन ऐसे व्यक्ति दारो तथा दो वर्ष से ग्रनिधक ऐसी कालाग्रिष किया जाना म्राभिप्रेस रहा हो, कोई भी याँद, म्राभिशोजन या शना वैसिक कार्यशिही भ्रणवा परितद् के फिसी पदाधिकारी या सेवक के विरुद्ध मित्ती भी ऐसी बात ने लिये

के लिये जिसे कि वह उचित सम्मे, करा सक्ता श्रोर सबीन परिषद् थों अस्तिला में

3667 जाने बाली जान. कारी और उपका द्वारा दी परिशद राज्य बासन को ऐसी रिपोर्ड, उसके कार्य वृत्तों की प्रतिविशिगो, गष्टाग्रदेश राजगत्न, दिनांक 15 नवस्त्रर 1973

नियम बनाने की ३३. (१) राज्य भारान इस श्रधिनियम ने प्रयोजनों को कार्यानित करने के उराके लेखे की संक्षिरियमं तथा ऐसी शत्म जानकारी, जैसी कि राज्य भारतन विद्वित सिये नियम बना सकेगा.

거라[내다

(२) इस धारा के ग्रधीन बनायें गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

परिषद् राज्य गारान की पूर्न गंजूरी से श्रीर धारर ३३ के अधीन बनाये कुं नियमों के ब्रद्यीत रहते हुए साधारण ३: इस मधिनियन के प्रयोजनों को कार्यान्यित करने के लिये विभियम बना राजेगी श्रीप्रइस शक्ति। की ज्यापनद्वा पर प्रसित्त प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निष्मिलिबित के लिये उपबन्ध हो सक्षेमा :—

नितियन

(ख) परिलद् के प्रधित्रेशनों का माहूत किया जाता तथा उनका निता जाना, राम्य तथा स्वाय जहां ऐसे अधिनेशन किये जाने हों, जनमें किये जाते वाले कामकाज का संचालन;

ने गदस्यों ने स्यागणत ; परिषद्

समिति की निर्नित का हंग, ऐसी समितियों के मधिनेशनों या बाहूस नियां जाना तथा उन ममिषेशनों ना किया जाना मीर ऐसी श्रष्टाक्ष तमा उनाष्ट्रका भी यभित्रमां तथा कर्तेच्य; समितियों ने <u>्</u> (म)

कामकाज का संत्रालन

न्) परिषद् के शीनस्ट्रारसभाअन्य पदाधिकारिशों एवं सेनको की परावसि त्या उनती भनित्तनी एवं क्षेड्य तथा सेवा की श्रम्य शते,

इस प्रविशिशन के ग्रधीन रजिस्ट्रीकरण के सिये ग्रावेदन पत्र में ब्रहेताथों यस भवाण;

कोई भी निष्ण जिस विषेद्स प्रधिनिष्ण के प्रधीन, विनिष्णों बतताई जारेगानी विभिष्टिमं तथा उसमें दिया जाने वाला प्ररूप जिसमें राज्य-रजिस्टर रखा आयमा हारा, उपान्ध फिया जा धनैमा. ३५. - धारत ३ की उनशाया (१) के मधीन अमितूक्ता में मिराब् की स्थानम (क) महाकोशल गरींग सीमस्ट्रेशन क्राउम्सिल, मध्मभारत परिचारिकार भगीं। भिने म तथा र गरण-गरणे परिणय् तथा मध्यभारत हाई रशिस्ट्रीकरण पर्वत् विषटित हो जायो ; जिल्लायित निष्ने गर्ने दिनांक में निम्नविधिया परिषाम होंने, ग्रमींस

स्यापना पर होने बाले परिशाप,

सारा ३ के अधीन

- (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट फाउन्सिन/परिष्यू/पर्यत् की समस्त ुरिस्त्यां तथा दायित्व धारा ३ के अधीन स्थापित परिष्यु की आस्तिनां, तथा दायित्व होंगे तथा समझे आयंगे;
- (ग) ऐसी समस्त रजिस्ट्रीगृत उपवारिकाएं, प्रसाविकायें, सहायी उपवारिका-प्रसाविकाएं स्वास्था परिदर्शक तथा दाइयां, जो धारा ३६ के यधीन निरसित किसी भी प्रधिनियम के प्रधीन क् रजिस्ट्रीगृत हों और इस प्रधिनियम के प्रारंग होने पर मान्यता प्राप्त प्रहेतायें रखती हों, इस प्रधिनियम के प्रधीन राज्य-रजिस्टर में यथास्थित रजिस्ट्रीगृत उपवारिका, प्रसाविका, सहायी उप-वारिका-प्रसाविका या स्वास्थ्य परितर्शक के रूप में नामांकित की गई समझी जायंगी;
- (घ) पूर्वीस्त दिनांक के ठीक पूर्व, खंड (फ) में निदिष्ट का उन्सिल/परिपर् पर्णंद के या उसके नियंत्रण के अधीन समस्त कर्मनारी धारा ३ के अधीन स्वाधित की गई परिपर् के कर्मनारी समझे जायेंगे और जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अन्य उपवन्ध न किये जायें, यही वेतन तथा भते, प्राप्त करेंगे तथा उन्हीं सेवा शतों के अधीन होंगे जिसके कि वे ऐसे दिनांक के ठीक पूर्व हकदार या अधीन थे:

परन्तु राज्य भारान की पूर्व मन्जूरी से अधीन रहते हुए पिनित् इस बात के लिये सक्षम होगी कि वह निसंत भी ऐसे कर्मचारी की, जो उसकी राय में परिपद् की जरूरत के लिये आवश्यक या उपयुक्त न हो, उसे ऐसी सूनना देने से पश्नान, जो कि उसके नियोजन के निवन्धनों के अनुसार दिया जाना अमेदित हो, सेवा को स-ध्त कर दे और ऐसा प्रत्येक कर्म बारी ऐसी छुट्टी, निवृत्ति-वेतन, भविष्य निधि (आविडेन्ट कन्ड) स्था उपदान (ग्रेब्युटी) का हक्तार होगा जिसे कि वह सेवा के लिये अतमर्थ हो जाने पर लेने या आप्त करने का हक्तार होता मानों कि उस काउन्तिन /परिपद/पर्वंद का, जिसके कि नियोजन में वह था, अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ हो।

परन्तु यह श्रीर भी कि यदि ऐते कर्गनारी के नियोजन के नियन्यनों में ऐसी कोई अपेशा श्रन्तिकट न हो, तो वह, यदि उसने कार्जन्यना/परिषद्/पर्षद में एक वर्ष से श्रिष्ठक निरन्तर सेवा की हो, धारा ३ के श्रष्ठीन स्थापित परिषद् से एक भारा के श्राक्ते वर्तमान वेतन तथा भत्तों के वरावर राजि अतिकर के रूप में वश्रूज करने का हमकार होगा.

(ङ) खण्ड (क) में निविष्ट काउरियल / परिषद्/पर्षद के समस्त अभिलेख तथा कागद बारा ३ के अधीन स्थापित परिषद् में निहित होंगे तथा उसकी अन्तरित हो जागोंगे

निरतनः

३६. धारा ३की जाधारा (१) के अधीन परिषद् की स्थाना के ियं उत्तिलखित किये गये दिनांक से, सी. पी. एण्ड वराय गर्सेन एकिस्ट्रेशन एक्ट, १६३६ (भध्यप्रांत श्रीय वराय जानारिता रजिस्ट्रीकरणश्रीविधन,१६३६) (क्यांक २३ सन् १६३६) तथा मध्यप्रदेश स्टेट्यूटरी बाडीज (रीजनस कान्स्टीट्यूशन) एगट, १६५६

[मध्यक्ति परिनियत निकाय (प्रादेशिक गठन) प्रधिनियम, १६५६] (क्रमांक १७ संन् १९५६), जहां तक कि वह उनत एनट से संबंधित हो, मध्यभारत नाई रजिस्ट्रीकरण निधान, १६५३ (क्रमांक २२ सन् १६५३) तथा मध्यभारत परिचारिका, प्रसूति विशेषक तथा स्थानक २ सन् १६५३) निरस्त हो जायमे.

भोपाल, दिनांक १४ नवन्बर १६७३.

क. एक. १ (बी)-२३६-७३-६नकीस-म (मा.),—-भारत के संविधान के मनुष्ठिय ३४८ के खंड (३) के मनुसरण में मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाधिका, सहामी उपचारिका प्रसाधिका तथा स्वार्थ्य परिवर्धका-रिक्ट्रीकरण मधिनियम, १९७३ (कमांक ४६, सन् १९७३) का मंग्रेजी मनुमाद राज्यान के प्राधिकार से प्रत्यारा प्रकाशिक किया जाता है.

भड़्यप्रदेश 'के राज्यनास के नाम से तथा कार्यकानुगार, वा. रा. दुवे, सन्तिन

MADHYA PRADESH ACT

No. 46 of 1973

THE MADITYA PRADESH UPCHARIKA, PRASAVIKA, SAHAI UPCHARIKA-PRASAVIKA TATHA SWASTIIYA PARIDARSHAK REGISTRIKARAN ADHINIYAM, 1972

TABLE OF CONTENTS

Sections

- I. Short title, extent and commencement.
- 2. Definitions.
- 3. Incorporation of Nurses Registration Council,
- 4. Constitution of Council.
- 5. President and Vice-President of the Council.
- ... 6. 'Mode of election.
 - 7. Term of office of Vice-President and Members of Council.

- of (1) An election under clauses (h), (i), (j) and (k) of sub-Mode of section (l) of section 4 shall be conducted by the Council and election an election under clauses (g), (l) and (m) of sub-section (l) of section 4 shall be conducted by the bodies referred to therein in the prescribed manner.
- (2) If any of the bodies referred to in clauses (g), (l) and (m) of sub-section (l) of section 4 does not, by such date as may be prescribed, elect a person to be a member of the Council, the State Government shall, by order in writing, appoint to the vacancy a person qualified for election thereto; and the person so appointed shall be deemed to be a member of the Council as if he had been duly elected by the said body.
- (3) Where any dispute arises regarding any election to the Council, it shall be referred to the State Government within such period as may be prescribed and the decision of the State Government thereon shall be final.
- 7. (1) The Vice-President shall hold office for a term of Term of office of one calendar year.

 | Vice-President and Members of
- (2) Every member of the Council other than an ex-officio Council, member shall hold office for a term of three years from the date, his election or nomination is notified in the Gazette under subsection (2) of section 4:

Provided that notwithstanding the expiry of his term, such member shall continue to hold office until the election or selection, as the case may be, of his successor is duly notified in the Gazette.

- 8. (1) An elected or nominated member may at any time, Casual vacancies, resign his membership by tendering his resignation in writing under his hand to the President, and his seat shall thereupon become vacant.
- (2) An elected or nominated member shall be deemed to have vacated his seat if-
 - (i) he is absent without excuse sufficient in the opinion of the Council, from three consecutive ordinary meetings, of the Council; or
 - (ii) he is absent out of India for a period exceeding six consecutive months; or
 - (iii) is name is removed from the State Register under section 17.
- (3) If any question, dispute or doubt arises whether a vacancy has occurred under sub-section (2), it shall be decided by the State Government and its decision shall be final.
- (4) A casual vacancy in the Council shall be filled by election or nomination, as the case may be, and the person elected or nominated to fill the vacancy shall hold office for the unexpired term of his predecessor.

MADIIYA PRADESH ACT

No. 46 of 1973

THE MADIIVA PRADESH UPCHARIKA, PRASAVIKA, SAHAI UPCHARIKA-PRASAVIKA TATHA SWASTUYA PARIDARSHAK REGISTRIKARAN ADHINIYAM, 1972

[Received the assent of the President on the 6th November 1973, assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extraordinary) dated the 15th November 1973.]

An Act to consolidate the laws relating to registration of Nurses, Midwives, Auxiliary Nurse-Midwives and Health Visitors in Madhya Pradesh and to make provision for the constitution of the Nurses Registration Council for the State and for matters connected therewith.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows:—

PART I-PRELIMINARY

- 1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Up-Short title, charika, Prasavika, Sahai Upcharika-Prasavika Tatha and commence-Sweethya Paridarshak Registration Adhiniyam, 1972. ment.
 - 2. In this Act, unless the context otherwise requires,-
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.
 - 2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

Definition.

- (a) "Council" means the Madhya Pradesh Norses Registration Council established under section 3;
- (b) "Nurse" includes a male nurse;
- (c) "recognised qualification" means any of the qualifications included in the Schedule to the Indian Nursing Council Act, 1947 (No. 48 of 1947);
- (d) "State register" means a register maintained under section 14 and expressions "registered" and "registration" shall be construed accordingly.

PART II—THE MADHYA PRADESH NURSES REGISTRATION COUNCIL

- 9. (1) The State Government shall, as soon as may be, incorporation of establish, by a notification, a Nurses Registration Council with Nurses Registrateffect from such date as may be specified therein.
- (2) The Council shall be a body corporate by the name of the Madhya Pradesh Nurses Registration Council and shall have perpetual succession and a common seal with power to cequire and hold property both movable and immovable, and subject to the provisious made under this Act, to transfer any property held by it and to contract and do all other things necessary for the purposes of its constitution and may sue or be sued in its corporate name.

Constitution of Council.

- 4. (1) The Council shall consist of the following members, namely:—
 - (a) The Director of Health Services, Madhya Pradesh—ex-officio;
 - (b) Two Superintendents of Hospitals approved and recognised by the Council under section 24 noninated by the State Government by rotation;
 - (c) The Assistant Director of Health Services (Nursing) and in the event of the said office being vacant, the Superintendent, Nursing Services—ex-officio;
 - (d) The Principal, College of Nuring, Indore-ex-officio;
 - (c) Two Matrons from Medical College Hospitals nominated by the State Government by rotation;
 - (f) Two Sister tutors of Schools of Nursing in Madhya Pradesh nominated by the State Government by rotation;
 - (g) One nurse elected by the Madhya Pradesh Branch of trained Nurses Association from amongst the registered nurses residing in Madhya Pradesh;
 - (h) Three nurses elected by registered nurses other than those who are members of the Madhya Pradesh Board of Trained Nurses Association from amongst themselves of whom one shall be male nurse;
 - (i) One midwife elected by registered midwives from amongst themselves;
 - (j) One auxiliary nurse-midwife elected by registered auxiliary nurse-midwives from amongst themselves;
 - (k) One health visitor elected by registered health visitors from amongst themselves;
 - (l) One member elected by the Madhya Pradesh Branch of the Red Cross Society from amongst its members residing in Madhya Pradesh;
 - (m) One member elected by Mid-India Board of Examiners from amongst its members:

Provided that no person shall at the same time serve as a member in more than one capacity.

(2) The name of every person elected or nominated under sub-section (1) shall be notified in the Gazette.

President and Vice-President of the Council

- 5. (1) The Director of Health Services, Madhya Pradch, shall be ex-officio President of the Council.
- (2) The Vice-President of the Council shall be elected by the members of the Council from amongst themselves.

- of (1) An election under clauses (h), (i), (j) and (k) of sub-Mode of section (l) of section 4 shall be conducted by the Council and election an election under clauses (g), (l) and (m) of sub-section (l) of section 4 shall be conducted by the bodies referred to therein in the prescribed manner.
- (2) If any of the bodies referred to in clauses (g), (l) and (m) of sub-section (l) of section 4 does not, by such date as may be prescribed, elect a person to be a member of the Council, the State Government shall, by order in writing, appoint to the vacancy a person qualified for election thereto; and the person so appointed shall be deemed to be a member of the Council as if he had been duly elected by the said body.
- (3) Where any dispute arises regarding any election to the Council, it shall be referred to the State Government within such period as may be prescribed and the decision of the State Government thereon shall be final.
- 7. (i) The Vice-President shall hold office for a term of Term of office of one calendar year.

 † i' Vice-President and Members of
- (2) Every member of the Council other than an ex-ollicio Council, member shall hold office for a term of three years from the date, his election or nomination is notified in the Gazette under subsection (2) of section 4:

Provided that notwithstanding the expiry of his term, such member shall continue to hold office until the election or selection, as the case may be, of his successor is duly notified in the Gazette.

- 8. (1) An elected or nominated member may at any time, Casual vacancies, resign his membership by tendering his resignation in writing under his hand to the President, and his seat shall thereupon become vacant.
- (2) An elected or nominated member shall be deemed to have vacated his seat if—
 - (i) he is absent without excuse sufficient in the opinion of the Council, from three consecutive ordinary meetings, of the Council; or
 - (ii) he is absent out of India for a period exceeding six consecutive months; or
 - (iii) is name is removed from the State Register under section 17.
- (3) If any question, dispute or doubt arises whether a vacaucy has occurred under sub-section (2), it shall be decided by the State Government and its decision shall be final.
- (4) A casual vacuacy in the Council shall be filled by election or nomination, as the case may be, and the person elected or nominated to fill the vacuacy shall hold office for the unexpired term of his predecessor.

Leave of absence to members.

The Council may permit any member to absent himself, from the meetings of the Council for any period not exceeding six months.

Meetings of the Council.

- 10. (1) The Council shall meet at least once in each year at such time and place as may be appointed by the Council.
- (2) Five members of the Council shall form a quorum and all acts of the Council shall be decided by the majority of the members present and voting. In the case of an equality of votes, the person presiding shall have a casting vote.

Vacancy not to tuvalidate proceedings, etc.

- 11. No act of the Council shall be invalid merely by reason of-
 - (a) any vacancy in, or defect in the constitution of the Council; or
 - (b) any defect in the election or nomination of a person acting as a member thereof; or
 - (c) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

Payment of bers of Council.

12. There shall be paid to the President, Vice-President allowances to Pre-sident, Vice-Presi-and members of the Council, such allowances for attending dept. and members as the Council may, by regulations, determine

PART III-REGISTRATION

Registrar and other officers.

- $ec{arphi}$ 13. (1) The Conneil shall appoint a Registrar who shall also act as Secretary of the Council.
- (2) The Council shall appoint a Treasurer who shall exercise general control over the funds of the Council;

Provided that pending the appointment of a Treasurer, the Registrar may, if so required by the Council, act as Treasurer for a period not exceeding one year.

- (3) The Council may employ such other persons as it may deem necessary to carry out the purposes of the Act.
- (4) The qualifications, the conditions of appointment and service and scale of pay as respects the Registrar and the Transsurer shall be such as may be prescribed and as respects the other employees shall be such as the Council may, with the previous sanction of the State Government determine.
- (5) The Council shall require and take from the Registrar, Treasurer or from any other employee such security for the due, performance of his duties as the Council deems necessary.
- (6) The Registrar, the Treasurer and other employees appointed by the Council under this section shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

(e) all records and papers belonging to the Counciller Board referred to in clause (a) shall vest in and be transferred to the Council established under section 3.

Repeal.

36. As from the date specified for the establishment of the Council under sub-section (1) of section 3, the Central Provinces and Berar Nurses Registration Act, 1936 (No. 23 of 1936), and the Madhya Pradesh Statulory Bodies (Regional Constitution) Act, 1956 (No. 17 of 1956), in so far as it relates to the said Act, the Madhya Bharat Dais Registration Act, 1953 (No. 22 of 1953), and the Madhya Bharat Nurses, Midwives and Health Visitors Registration Act, 1955 (No. 2 of 1955), shall stand repealed.

नियंत्रम, मृहण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासन केन्द्रीय मृहणालय, भोपाल से मृद्रित सया प्रकाशित—1973.

Health Visitors Council and the Madhya Bharat Dais, Registration Board shall stand dissolved:

- (b) all assets and liabilities of the Conneils/ Board referred to in clause (a) shall belong to and be deemed to be the assets and liabilities of the Council established under section 3;
- (c) all such registered nurses, midwives, auxiliary nurse midwives, health visitors and dais registered under any of the Acts, repealed under section 36 and possessing recognised qualifications on the commencement of this Act, shall be deemed to be enrolled as registered nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife or health visitor, as the case may be, in the State Register under this Act;
- (d) all employees belonging to or under the control of the Councils/Board referred to in clause (a) immediately before the date aforesaid shall be deemed to be the employees of the Council established under section 3 and shall, until other provision is made in accordance with the provisions of this Act, receive salary and allowances and be subject to conditions of service to which they were enlitted or subject immediately before such date:
- Provided that it shall be competent to the Council, subject to the previous sanction of the State Government, to discontinue the service of any employee, who in its opinion, is not necessary or suitable to the requirement of the Council after giving such employee such notice as is required to be given by the terms of his employment and every such employee shall be entitled to such leave, pension, provident fund and gratuity as he would have been entitled to take or receive on being invalidated out of service as if the Council (Board in the employ of which he was had not ceased to exist:
 - Provided further that if the terms of employment of such employee do not contain any such requirement, he shall, if he has put in more than one year's continuous service in the Council/Board be entitled to recover from the Council established under section 3 by way of compensation a sum equal to his existing pay and allowances for one month;

3680

Information to be furnished by Council and publication thereof.

32. The Council shall furnish such reports, copies coits minutes, abstracts of its accounts, and other information to the State Government as the State Government may prescribe.

Power to make rules.

- 33. (1) The State Government may, make rules to carry out the purposes of this Act.
- (2) All rules made under this section shall be laid on the table of the Assembly.

Power to Make regulation.

- 34. The Council may, with the previous sauction of the State Government and subject to rules made under section 33, make regulations generally to carry out the purposes of this Act. and, without prejudice to the generality of this power, such regulations may provide for—
 - (a) the management of the property of the Council and the maintenance and audit of its accounts;
 - (b) the summoning and holding of meetings of the Council, the times and places where such meetings are to be held, the conduct—of business thereat;
 - (c) the resignation of members of the Council;
 - (d) the powers and duties of the President and Vice-President;
 - (e) the mode of appointment of Committees, the summoning and holding of meetings, and the conduct of business of such Committees;
 - (f) the tenure of office, and the powers and duties and other conditions of service of the Registrar and other officers and servants of the Council;
 - (g) the particulars to be stated, and the proof of qualifications to be given in Epplication for registration under this Act;
 - (h) the form in which State register, shall be maintained;
 - (i) any matter for which under this Act provision may be made by regulations.

Consequence to 35. As from date specified for the establishment of ensure on estab- the Council in the notification under sub-section (1) of lishment of Council on 3, the following consequences shall ensue, cil under section namely:—

3

(a) the Mahakoshal Nurses Registration Council, the Madhya Bharat Nurses, Midwives and (c) wilfully makes or causes to be made any faste representation in any matter relating to the register or certificate issued under the provisions of this Act:

shall, on conviction, be punished with fine which may extend to Rs. 250 for the first offence and for any subsequent offence with fine which may extend to Rs. 500 or with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with both.

28. Any person who, not being a registered murse, Penalty for unmidwife, auxiliary nurse-midwife or health visitor, takes lawful or uses the name or title of registered murse, midwife, assumption of auxiliary nurse-midwife or health visitor, or uses any name, title of registered title, description, prescribed uniform, object or sign-board murse, midwife, with the intention that it may be believed, or with the auxiliary knowledge that it is likely to be believed that such person midwife or health is a registered nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife or visitor. health visitor shall, on conviction, be punished with line which extend to Rs. 100 for the first offence and for any subsequent offence with fine which may extend to Rs. 200 or-with simple imprisonment for a term which may extend to three months or with both.

29. (1) No court shall take cognizance of an offence Conizance of punishable under this Act, except upon complaint in offence. writing made by the Registrar or any other officer authorised by the Council in this behalf by general or special order.

- (2) No court inferior to that of a magistrate of first class shall try any offence punishable under this Act.
- 30. No suit, prosecution or other legal proceeding Prolection of shall lie against the State Government, the Council or any action taken in committee thereof, or any officer or servant of the Govern- good faille. ment or the Council for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

If at any time it appears to the State Govern- Control by State ment that the Council has failed to exercise or has exceed. Government. ed or abused any of the powers conferred upon it by or under this Act, or has failed to perform any of the duties conferred upon it by or under this Act, the State Government may, if it considers such failure, excess or abuse to be of a serious character, notify the particulars thereof to the Council, and if the Council fails to remedy such failure, excess or abuse within such time as the State Government may fix in this behalf, the State Government may dissolve the Council and cause all or any of the powers and duties of the Council to be exercised and performed by such person and for such period not exceeding two years as it may think fit and shall take steps to bring into existence a new Council.

- (3) No school, hospital or other institution which is not approved and recognised under this section shall issue to any person a certificate or enter the name of any factor in any document purporting to show that such person is qualified by reason of his having passed any examination or undergone any course of training to practise as a nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife or health visitor, unless his name is registered or entered in the list under this
- (4) Any person who contravences the provisions of sub-section (3) shall, on conviction, be punished with fine which may extend to Rs. 500.
- (5) Where a person committing an offence under this section is a company or other body corporate or an association of persons (whether incorporated or not), every person who at the time of the commission of the offence was a director, manager, secretary, agent or other officer or person concerned with the management thereof shall, unless he proves that the offence was committed without his knowledge or consent, he deemed to be guilty of such offence.

Appeal against refusal to recognise institution.

Any person aggrieved by the refusal of the Council to approve and recognise any institution as competent to train nurses, midwives, auxiliary nursemidwives or health visitors may appeal, within three months from the date of such refusal, to the State Government against such order of refusal. The decision of - the-State Government, on any such appeal, shall be final.

PART V-MISCELLANEOUS

Removal of names notice of death,

Every Registrar of Births and Deaths from register on receives notice of the death of any person whose name he knows to be or has reason to belive is entered in any register, shall forthwith transmit by post to the Council a certificate or registration of such death signed by him and stating the time and place of death, and thereupon the name of such person shall be removed from the register.

Penalty for dishonest use of certificate,

Any person who— 27.

- (a) dishonestly makes use of any certificate of registration issued under the provisions of this Act to him or to any other person;
- (b) procures or attempts to procure registration under the porvisions of this Act by making or producing, or causing to be made of produced any faste or fradulent declaration, certificate or representation whether in writing or otherwise; or

Provided that the State Government may, by notification, for reasons to be specified therein, extend the aforesaid period by a further period not exceeding three months.

- (3) The Council, after making such enquiry—as—it deems fit to make and on being satisfied that the opplicant was practising as a nurse, midwife, auxiliary murse-midwife, health visitor or—dai—immediately—before—the specified date, shall incorporate the name of the applicant in the list.
- (4) The provisions of section 20 shall apply to any order passed by the Council, under sub-section (3) as they apply to an order under section 15 or section 17.
- (5) The person whose name is included in the list prepared under this section shall be entitled to all the privileges of a registered person specified in section 16.
- (6) The Registrar shall, as soon as may be, after the expiry of the period specified in sub-section (2) or such farther period as may be extended thereunder, publish the list of persons prepared under sub-section (1) in the Gazette and the publication of such list shall be the conclusive evidence of the eligibility of the person included therein to practice as a nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife, health visitor or dai, as the case may be, in pursuance of the provisions of this section.
- c 23. (1) Save as provided in this Act, no person Prohibition form shall practise or hold himself out, whether directly or practice except as indirectly as practising habitually or for personal gain as provided in the a nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife, health visitor or Act. dai within the State.
- (2) Any person who contravenes the provision of sub-section (1) shall be punished with fine which may extend to rupees five hundred.

PART IV-TRAINING INSTITUTIONS

- 24. (1) The institutions which are approved and Training Institutecognised by the Council after inspection by its repre-tions, sentative shall be competent to train nurses, midwives, auxiliary nurse-midwives or health visitors, and to send them for examination for the qualifying certificates of the Council.
- (2) The Council may withdraw recognition from any such institution after its inspection by a representative of the Council. The order of such withdrawal shall be in writing and shall be served in the prescribed manner:

Provided that no recognition shall be withdrawal without giving an opportunity to the authorities in charge of the institution from being heard.

Council be held in camera, tound grown and majority of two-thirds of the members present and voting at the meeting of infamous conduct in any professional respect.

Alteration of State Register by Council.

- 18. (1) The Council may, if it considers it so to do, and after giving due notice to the person concerned and enquiring into his objections, if any, order that any entry in the State Register which shall be proved to the satisfaction of the Council to have been fraudulently or incorrectly made or brought about, be cancelled or amended.
- (2) The Council may direct the removal altogether, or for a specified period from the State Register of the name of any registered nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife or health visitor for the same reasons for which registration may be prohibited by the Council under section 17.
- (3) The Council may direct that any name removed under sub-section (2) shall be restored subject to such conditions, if any, which the Council may deem fit to impose.

Procedure in enquiries. 19. For the purpose of any enquiry under section 15 or section 17, the Council or any committee authorised by rides made, under section 33 shall be deemed to be a Court within the meaning of the Indian Evidence Act, 1872 (I of 1872), and shall exercise all the powers of a Commissioner appointed under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (37 of 1850), and such enquiries shall be conducted, as far as may be, in accordance with the provisions of section 5 and sections 8 tc.20 of the said Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (37 of 1850).

Appeal against the decision of Council.

- 20. (I) An appeal shall lie to the State Government against every decision of the Council under section 15 or section 17 and the decision of the State Government thereon shall be final.
- (2) Every appeal under sub-section (1) shall be preferred within three months from the date of the receipt by the party concerned of a copy of such decision.

Disposal of line.

21. All fines realised under this Act and all moneys received by the Council under this Act shall be applied for the purposes of this Act or the rules or the regulations made thereunder.

Maintenance of list of persons in practice other than those ellgibio for registration or deemed to be enrolled on Sinto Registers.

- 22. (1) The Council shall cause to be prepared a list of persons practising as nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife, health visitor or dai in the State immediately before the date specified under sub-section (I) of section 3 (hereinafter in this section referred to as the "specified date") as are not eligible for registration under the Act or are not deemed to be enrolled on the State Register under clause (c) of section 35.
- (2) Any practitioner falling under sub-section (1) and desirous of getting his or her name incorporated in the list referred to therein, shall submit an application in the prescribed form together with the prescribed fee to the Registrar within six months from the specified date:

- (1) The Council shall cause to be maintained in the State Register. prescribed manner a register of-
 - (i) Nurses,
 - (ii) Midwives,
 - (iii) Auxilary Nurse-Midwives, and
 - (iv) Health Visitors,

resident in Madhya Pradesh who are eligible for enrolment under section 15 to be known as State Register.

- It shall be the duty of the Registrar of the Council to keep the State Register in accordance with the provision of this Act and of any orders made by the Council, and from time to time revise the register in the prescribed manner and publish it in the Gazette.
- (3) Such register shall be deemed to be a public doorment within the meaning of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) and may be proved by a copy published in the Gazette.
- 15. Every person possessing recognised qualification shall persons who may be eligible for envolvent on the State register on furnishing be registered and to the Register proof of such qualification and on payment of such fee as may be prescribed and different fee may be pres-registration fee. cribed for different persons mentioned in section 14.

16. (1) Subject to the conditions and restrictions laid privileges of down in this Act regarding practising as nurse, midwife, auxi-registration. liary nurse-midwife, or health visitor by person possessing certain recognised qualifications, every person whose name is for the time being borne on the State Register shall be entitled, according to his qualifications to practice in the State as a nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife or health visitor, as the case may be, and to recover in due course of law in respect of such practice any fees to which he may be entitled.

- (2) No person other than a registered nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife or health visitor shall be eligible to hold any appointment as nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife or health visitor in any hospital, asylum, infirmary, dispensary, maternity or child welfare centre or any other medical or public health institution.
- .1. The Council may, upon reference from the Registrar. or otherwise prohibit the entry in, or order the removal from Power of Council the State Register the page of the the State Register the name of any person-

(a) who has been sentenced by a Criminal Court to removal from imprisonment for an offence indicating in the State Register. opinion of the Council such a defect in the character as would render the enrolment or continuance of his name in the register undesirable;

to prohibit the entry or to direct

(b) whom the Council after inquiry, at which opportunity has been given to him to be heard in person or by counsel and which may at the discretion of